ालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बेलवाई बनाम विश्राम मु. सं. 47/2023 (दावा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांकः 20.11.2024

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और प्रार्थी का जबाव दावा बंद कर दिया गया। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थी का मुकदमा अचल संपत्ति से संबंधित है। अतः दिनांक 01.05.2024 को जबाव बंद की कार्यवाही को मंसुख कर प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये।

इसी प्रकार वकील प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण अदालत हाजा में उपस्थित नहीं हो सके। प्रतिवादी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गईं। प्रकरण में प्रार्थी का हित निहित है। अतः दिनांक 10.06.2024 को मंशुख फरमाते हुए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का पृथक-पृथक जबाव पेश कर जाहिर किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 विश्राम जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए है जो उदासीनता को दर्शाता है। प्रतिवादी को जबाव दावा पेश करने को पर्याप्त अवसर दिये गये लेकिन उनके द्वारा समय पर जबाव पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया जाना वादिया के प्रति अन्याय होगा। इसलिये प्रतिवादी विश्राम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 एवं आदेश 9 नियम 13 जा.दी. को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की दोनों प्रार्थना पत्रों पर पृथक-पृथक बहस सुनी। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव दावा पेश नहीं किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। दावा पक्षकारान की संयुक्त आराजी का विधिवत बंटवारा किये जाने का है। यदि विवादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं किया जाता है तो न्यायिक प्रकिया के विपरीत है। इसलिये तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम के आधार पर दावा वादिया अंतिम रुप से डिकी किया जाता है एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 जा.दी. खारिज किये जाते है।

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 20.11.2024 को निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलाश सुनाया गया।

Manisha

(मनीषा कुमारी मीना)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा